संख्या- /X-2-2012-12(8)/2010

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

123

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2012**

विषयः- अनुदान संख्या-27 के पूंजीगत पक्ष में केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत "13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम मे भवनों का निर्माण" योजना में वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रस्ताव/पत्र सं0-नि0-940/3-10(13वां वि0आ0) दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-27 के पूंजीगत पक्ष में केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना "13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड वन विभाग के मुख्यालय भवन का देहरादून में निर्माण"** कार्य हेतु अनुमोदित वित्तीय सीमा ₹1289.72 लाख के सापेक्ष विगत वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासनादेश सं0-898/X-2-2011-12(8)/2010 दिनांक 29 मार्च 2011 द्वारा पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹600.00 लाख के उपरान्त इस कार्य हेतु अवशेष धनराशि **₹ 6,89,72,000/ (₹ छः करोड़ नवासी लाख बहत्तर हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में द्वितीय किस्त के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के समाप्ति के चरण में होने के कारण निर्गत की जा रही धनराशि को आहरित कर फॉरेस्ट डिपोजिट में रखा जायेगा तथा कार्यदायी ईकाई की मांग के अनुसार किस्त में यह धनराशि कार्यदायी ईकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रेत्तर किस्तें चालू कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सत्यापन एवं अनुश्रवण के उपरान्त मांग के आधार पर चरणबद्ध रूप में अवमुक्त की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(7) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

क्रमश :....2

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(9) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(11) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(12) उत्तराखण्ड वन मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-898/X-2-2011-12(8)/2010 दिनांक 29 मार्च 2011 की शर्तें/प्रतिबन्ध भी लागू होंगे।

(13) सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-640/XXX-01(02)/2011 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राविधानित ''सत्यनिष्ठा अनुबन्ध'' की व्यवस्था निर्धारित प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्ययय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101-''13वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में भवनों का निर्माण'' योजना की निम्नलिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा :-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक/योजना का नाम/मानक मद	बजट प्रावधान	वर्तमान स्वीकृति
1	4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्ययय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101-13वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण काय	90000	68972
	योग	**90000**	**68972**

(वर्तमान स्वीकृति ₹ छः करोड़ नवासी लाख बहत्तर हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-432(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमश :....3

संख्या- 654 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सीं-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख सचिव, वित्त एवं अध्यक्ष व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. महाप्रबन्धक, निर्माण/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून.
10. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
11. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
12. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
13. जिलाधिकारी, देहरादून.
14. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
15. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून.
16. वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय, देहरादून.
17. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
18. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव